


05.05.2022

अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता कैवियट कर्ता उपस्थित। प्रकरण का परीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 204/2021 बउनवान सुशीला बनाम शांति दिनांक 19.04.2022 को पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील पेश की है अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है अतः अपील पोषनीय नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलान्ट चाहे तो सक्षम न्यायालय में रिवीजन पेश करके अनुतोष प्राप्त कर सकता है

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
प्राली